भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (1) में प्रकाशनार्थ

सं० फा० 1(9) इ-III(ए)/ए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी, 1971.

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा, भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग में काम कर रहे व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के पश्चात् मौलिक नियमों में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. ये नियम मौलिक (षष्ठ संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।
2. ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

मौलिक नियमों में, नियम 9 के खण्ड (24) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

पद के उपधारणात्मक वेतन - से जब कि वह किसी विशिष्ट सरकारी सेवक के निर्देश से प्रयुक्त किया जाए, वह वेतन अभिप्रेत है जिसका कि वह तब हकदार होता जब कि वह उस पद को अधिष्ठायी रूप से धारण किए हुए होता और उसके कर्तव्यों का पालन करता हुआ होता, किन्तु इसके अन्तर्गत विशेष वेतन तब के सिवाय नहीं आता जब कि वह सरकारी सेवक उस काम का पालन या उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है जिन पर विचार करके वह विशेष वेतन मंजूर किया गया था।

कृपा सिंह

उप सचिव, भारत सरकार.

प्रकाशक,
भारत का राजपत्र, नई दिल्ली.

(व)